

२७-७-२३ परावली चैशुर्ची वकील पार्टी को बार-बार
अवसर दिये जाने के उपरान्त नोटिस तलवाना
पेदा नहीं किया है आदेश की पालना नहीं करने
के कारण पार्टीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत
आदेश १ नियम ५ सी. पी. सी. के तहत खारिज
किया जाता है

परावली फैसल कुमार होकर नम्बर से
कम है।


अधिकारी २७.७.२३
रूपनगढ़ (अजमेर)

